2016/00146

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी: नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 153 / 2016 (अपील)

उनवान

1. बाबूलाल आत्मज मोतीलाल जाति माली निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
2. रमेश चन्द आत्मज कालूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्टान)

बनाम

1. मथुरालाल आत्मज भागचन्द जाति माली निवासी कमोलर तह0 सांगोद
2. रामचन्द्र आत्मज भागचन्द जाति माली निवासी कमोलर तह0 सांगोद
3. लक्ष्मीनारायण आत्मज भागचन्द जाति माली निवासी कमोलर तहसील सांगोद
4. रूपचन्द आत्मज भागचन्द जाति माली निवासी कमोलर तह0 सांगोद
5. जगन्नाथ आत्मज भंवरिया जाति माली निवासी कमोलर तह0 सांगोद
6. ग्राम पंचायत कमोलर जर्ये सरपंच श्रीमती लीलावाई पत्नी गोविन्दलाल जाति माली निवासी कमोलर तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज0)

(रेस्पोडेण्टान)

उपस्थित :– 1. श्री रमेश चन्द राठौर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री गोविन्द नामदेव (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट नं0 1 लगायत 4)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 टी0 एक्ट 1955
बनाराजगी आदेश दिनांक 20.01.2016
ग्राम पंचायत कमोलर पंचायत समिति सांगोद

निर्णय दिनांक : 09.12.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कमोलर पंचायत समिति सांगोद के आदेश दिनांक 20.01.2016 के विरूद्व इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे बिना कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना किसी प्रकार की सूचना दिये निर्णय जेर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पिडित किसी भी पक्षकार को बिना किसी प्रकार की सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्टान की गैर मौजूदगी मे निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया कि रेस्पो0 1 लगायत 5 के सम्मलित खाते की आराजी खसरा नं0 756 की 1.68 है0 आराजी पर पहूचने का वर्षो पुराना रेकार्डेड रास्ता जो कमोलर से ग्राम दिल्लीपुरा तक जाने का रास्ता जो ग्राम कमोलर की आराजी ख0 नं0 638, ख0 नं0 729, खसरा नं0 740 की रास्ते की भूमि है तथा रेकार्डेड रास्ता नक्शा ट्रेस मे भी अंकित होकर चालू है। उक्त रेकार्डेड रास्ते से रेस्पो0 1 लगायत 5 की सम्मलित खाते की उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 756 की उत्तरी तरफ आराजी से लगया स्थित है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते है रास्ता 20 फुट चौडाई से भी अधिक है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी ग्राम कमोलर की आराजी पर पहूंचने के लिये ग्राम बोरदा की आराजी मे होकर नया रास्ता कायम किये जाने बाबत निर्णय पारित किये जाने मे

भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर स्वंय रेस्पो0 सरपंच ग्राम पंचायत कमोलर लीला बाई के ससुर के खाते की आराजी होते हुए भी उक्त जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। साथ ही रेस्पो0 1 लगायत 4 भी सरपंच परिवार के सदस्य होने के बावजूद सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने के बावजूद भी रेस्पो0 नं0 1 व 2 के प्रार्थना पत्र दिनांक 5.10.15 प्राप्त होने पर दिनांक 20.01.2016 को अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नियत अवधि 45 दिन मे निर्णय पारित किये जाने के कानूनी प्रावधान की पालना किये बगैर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर दिनांक 20.01.16 को निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक 5.10.15 के बाद नियत अवधि 45 दिन मे निर्णय पारित किया जाना कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक है तथा 45 दिन की अवधि के बाद पारित निर्णय अधिनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने से तथ उक्त अवधि के बाद तहसीलदार को कानूनी अधिकार होने के बावजूद भी अपील आदेश पारित किया जो काबिज निरस्तनीय है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत तथ्य अंकित किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की गैर मौजूदगी मे दिनांक 20.01.2016 को निर्णय पारित किये जाने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.04.2016 को रेस्पो0 द्वारा झगडा करने पर आमादा होने से दिनांक 11.04.2016 को अधिनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त करने से दिनांक 20.01.2016 से दिनांक 11.04.2016 तथा 11.04.2016 से अपील पेश करने का समय कण्डोन किये जाने का निवेदन किया गया। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कमोलर के आदेश दिनांक 20.01.2016 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 की ओर से श्री गोविन्द नागा एड0 व रेस्पो0 नं0 5 की ओर से श्री ओमप्रकाश मेघवाल एड0 ने वकालत नागा पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई।

3 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 नं0 1 व 2 के प्रार्थना पत्र दिनांक 5.10.15 प्राप्त होने पर दिनांक 20.01.2016 को अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नियत अवधि 45 दिन मे निर्णय पारित किये जाने के कानूनी प्रावधान की पालना किये बगैर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर दिनांक 20.01.16 को बिना अपीलांट को सुने निर्णय पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक 5.10.15 के बाद नियत अवधि 45 दिन मे निर्णय पारित किया जाना कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक है तथा 45 दिन की अवधि के बाद पारित निर्णय अधिनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने से तथा उक्त अवधि के बाद तहसीलदार को कानूनी अधिकार होने के बावजूद भी अपील आदेश पारित किया जो काबिज निरस्तनीय है।

4. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि रेस्पो0 नं0 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत कमोलर मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय ने मौका देखकर नियमानुसार निर्णय दिनांक 20.01.2016 को पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त करने का निवेदन किया गया।

5 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 के विरुद्व प्रस्तुत की गई अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से डिले अवधि कन्डोन की जाती है । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से रेस्पो0 नं0 1 व 2 द्वारा 05.10.2015 को बाबू लाल द्वारा रास्ता बन्द करने पर उसे बहाल किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2015 तथा श्री किशनलाल पुत्र नाथूलाल व भेरूलाल पुत्र नेनकी लाल के

बयान लेकर प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2016 को निर्णित किया । राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.09.1982 के अनुसार अधिनियम की धारा 251 के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार पहले 45 दित तक ग्राम पंचायत का है। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत का अधिकार समाप्त हो जाता है एवं तहसीलदार का सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। परन्तु प्रार्थना पत्र दिनांक 5.10.15 के प्राप्त होने पर दि० 20.01.2016 को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियत अवधि 45 दिन मे निर्णय पारित किये जाने के कानूनी प्रावधान की पालना किये बगैर दिनांक 20.01.16 को ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय पारित किया जाना जाहिर है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर निर्णय पारित किया जाकर त्रुटि की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सांगोद को इस दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह संबंधित समस्त पक्षकारान की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा